राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–बलाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 20/2016
दायरा तिथि 30.03.2016
निर्णय तिथि 30.05.2016

वादी– **बनामः** **प्रतिवादीगण–**

मांगीलाल पुत्र रावाजी
जाति भील निवासी तखतगढ
तहसील सुमेरपुर

1–समाराम पुत्र चुन्नीलालजी
2–प्रतापराम पुत्र चुन्नीलालजी
3–गोविन्दराम पुत्र चुन्नीलालजी
4–चंदाराम पुत्र चुन्नीलालजी
5–भंवरलाल पुत्र सांकलाजी
6–रतनलाल पुत्र सांकलाजी
7–नारायणलाल पुत्र सांकलाजी
8–जितेन्द्रकुमार पुत्र सांकलाजी
9–मेथी पत्नी सांकलाजी
10–पन्नालाल पुत्र बाबुलालजी
11–जोताराम पुत्र बाबुलालजी
12–तगीबाई पुत्री बाबुलालजी
13–बाबुलाल पुत्र प्रभूरामजी
14–लालाराम पुत्र प्रभूरामजी
15–रकमा पुत्री प्रभूरामजी
16–हुकडी पुत्री प्रभूरामजी
17–वदी पुत्री प्रभूरामजी
18–फतु पुत्री प्रभूरामजी
19–गीगी पत्नी प्रभूरामजी
20–वागाराम पुत्र छोगाजी
21–देसाराम पुत्र छोगाजी
22–समाराम पुत्र छोगाजी
23–जुंजा पुत्र मुपाजी
24–चुनीया पुत्र मुपाजी
25–भेराराम पुत्र पीथाजी
26–ईदाराम पुत्र पीथाजी
27–हजाराम पुत्र पीथाजी
28–दलीया पुत्र गणीयाजी
29–सविया पुत्र गणीयाजी
30–हकमा पुत्र गणीयाजी
31–परखा पुत्र गणीयाजी
32–तीजो बेवा गणीयाजी
33–देवा पुत्र पीथाजी
34–असकुडा पुत्र गजाजी
35–कंकु बेवा असकुडाजी
36–जेपाराम पुत्र असकुडाजी
37–ताराराम पुत्र असकुडाजी
38–रमेश पुत्र कुकाजी
39–मदन पुत्र कुकाजी
40–सणगु बेवा कुकाजी

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

लगातार–2

Scanned by CamScanner

41—पेमाराम पुत्र दुदारामजी
42—चेनाराम पुत्र दुदारामजी
43—मु.हजा बेवा दुदारामजी
44—भंवर पुत्र तेजाजी
45—हजाराम पुत्र तेजाजी
46—झुमी पुत्री तेजाजी
47—उगी पुत्री तेजाजी
48—मंजु पुत्री तेजाजी
49—पुष्पा पुत्री तेजाजी
50—पेपी पुत्री तेजाजी
51—मरगी पत्नी तेजाजी
52—मोहनलाल पुत्र वरदाजी
53—छगाराम पुत्र वरदाजी
54—इन्दाराम पुत्र वरदाजी
55—पोसी पत्नी वरदाजी
56—गवरी पुत्री वरदाजी
57—सुकी पुत्री वरदाजी
58—हुली पुत्री वरदाजी
59—कदी पुत्री वरदाजी
60—अंजु पुत्री वरदाजी
61—जतनी पत्नी जेताजी
62—गोविन्दराम पुत्र जेताजी
63—उदाराम पुत्र जेताजी
64—करमाराम पुत्र गजारामजी
तमाम जातिगण मीणा
निवासीगण बलाना तहसील सुमेरपुर
65—मीठाराम पुत्र नवारामजी जाति भील
निवासी गोगरा तहसील सुमेरपुर
66—राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act,1955

—: नि र्ण य :—

दिनांक 30.06.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है—

(1) कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र—बलाना में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रश्नगत मामले में लोक अदालत की भावना से हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले मे वर्णित वाद—विषयक स्थिति अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कथित वादपत्र द्वारा कतिपय प्रावधानों के तहत सरहद मौजा बलाना, तहसील सुमेरपुर में स्थित पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 816, 817, 818, 819, 820, 830, 1003, 1004, 1005 कुल रकबा 40.23 हेक्टर में खसरा नं. 819 रकबा 17.98 हेक्टर किस्म चा.प्र.जा.प्र. में वादी के हक हिस्सा की भूमि रकबा 0.83 हेक्टर का बंटवाडा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किये जाने व वादी की उक्त बंट हिस्सा की भूमि में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि

लगातार—3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री का अनुतोष चाहा गया है। वादपत्र के साथ जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता सं.352 व नजरी नक्शा–ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

(2) कि कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर यह वाद पत्रावली विधिक प्रक्रियां कार्यवाही के तहत विचाराधीन रहते आयोजित इस लोक अदालत केम्प में पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से इस आशय का राजीनामा पेश किया कि "हम पक्षकारों की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि जो सरहद मौजा बलाना, पटवार सर्कल बलाना, तहसील सुमेरपुर में स्थित हाल खसरा नं. 816, 817, 818, 819, 820, 830, 1003, 1004, 1005 कुल रकबा 40.23 हेक्टर आयी हुई है, जिसके बारे में हम खातेदारों की सहमति से पटवारी बलाना व आर.आई. तखतगढ द्वारा वर्तमान में मौके पर हमारे काबिज अनुसार बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा तैयार किया है जो राजीनामा के साथ संलग्न है, उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग–2 खातों का इन्द्राज व तरमीम किया जावे, तो हम सभी संबंधित पक्षकार/खातेदार सहमत है।" उक्त आशय का प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारों से बाद सत्यापन, तस्दीक कर यह राजीनामा व साथ में प्रस्तुत पटवारी बलाना व आर.आई. तखतगढ की प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा को रेकर्ड पर लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि एवं पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तस्दीक सुदा राजीनामे की इबारत अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी भूमि होना साबित होता है और इस प्रश्नगत् मामले में विवाद तथ्यों पर विचारण करने के पश्चात् हमारा विधिक मत है कि कथित वादग्रस्त भूमि के बारे में लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे की इबारत अनुसार एवं संलग्न पटवारी बलाना व आर.आई. तखतगढ की प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के अनुरूप बंटवाडा करके राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने तथा इसी मुजब बंट व हिस्से की खातेदारी भूमि में कोई भी पक्षकार किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे की इबारत अनुसार एवं संलग्न पटवारी बलाना व आर.आई. तखतगढ की प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के अनुरूप कथित वादपत्र कतिपय प्रावधान के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा बलाना, पटवार सर्कल बलाना, तहसील सुमेरपुर में स्थित हाल खसरा नं. 816, 817, 818, 819, 820, 830, 1003, 1004, 1005 कुल रकबा 40.23 हेक्टर का निम्न रूपेण अंतिम बंटवाडा किया जाता है–

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	किस्म
(1)	पेमाराम, चैनाराम पि.दुदा, हंजा बेवा दुदा, भंवरलाल, हजाराम पि.तेजा, झुमी, उगी, मंजू, पुष्पा, पेपी पुत्रीया तेजा, मरगो पत्नी तेजा, रमेश, मदन पि.कूका, मोहनलाल, छगाराम, ईदाराम पि.वरदा, गवरी, सुकी, हुली, कदी, अजू पुत्रीया वरदा, पोसी पत्नी वरदा, कंकू पत्नी असकुडा, जेपाराम, ताराराम पि.असकुडा, गोविन्दराम, उदाराम पि. जेताराम, करमाराम पि.गजाराम कौम मीणा सा.देह खातेदार	817 818 819/1 1005	5.82 6.14 0.08 4.56	चा.प्र. चा.प्र. चा.प्र.जा.अ. जा.अ.चा.प्र.
		4	16.60	—

उपखण्ड अधिकारी

लगातार–4

Scanned by CamScanner

(2)	पनाराम, जोताराम पि.बाबू, तगीबाई पुत्री बाबू, बाबूलाल, लालाराम पि.प्रभू, रकमो, हुकडी, वदी, फतू पुत्रीया प्रभू, गीगी पत्नी प्रभू, वागाराम, देसाराम, समाराम पि.छोगा, सदणो पत्नी छोगा, जुजा, चुनीया पि. मूपा, भेराराम, ईदाराम, हजाराम पि.पीथा, ढलीया, सविया, हकमा, परखा पि.गणिया, तीजो बेवा गणिया, समाराम, प्रतापराम, गोविन्दराम, चंदाराम पि.चुन्नीलाल, भंवरलाल, रतनलाल, नारायण, जितेन्द्रकुमार पि. सांकला, मेथी पत्नी सांकला, बागाराम पि.छोगाराम, रूपाराम पि.दुदाराम कौम मीणा सा.देह खातेदार	819 819/6	8.69 5.71	जा.अ.चा.प्र. चा.प्र.जा.अ.
		2	14.40	--
(3)	मीठाराम पि.नवाराम कौम भील सा.गोगरा खातेदार	819/2	1.37	चा.प्र.जा.अ.
(4)	मांगीलाल पि.रावाराम कौम भील सा.गोगरा खातेदार	819/3	0.83	चा.प्र.जा.अ.
(5)	देवाराम पि.दीपाराम कौम मीणा सा.देह खातेदार	819/4 820 830	1.07 1.23 4.34	चा.प्र.जा.अ. चा.प्र. चा.प्र.
		3	6.64	--
(6)	शेष बदस्तूर जमाबंदी (मीठाराम पि.नवाराम एवं मांगीलाल पि. रावाराम कौम भील सा.गोगरा के अलावा)	816 819/5 1003 1004	0.03 0.23 0.01 0.12	गै.मु.तेड चा.प्र.जा.अ. गै.मु.बेरा गै.मु.सडा
		4	0.39	--

नोटः– राजीनामा के साथ पटवारी बलाना व आर.आई. तखतगढ की प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा इस निर्णय/डिक्री का अभिन्न भाग माना व पढा जायेगा।

उपरोक्त बंट व हिस्सा मुजब खातेदारी भूमि में कोई भी पक्षकार किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का बलाना को आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्णय/डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय/डिक्री बरोज आज दिनांक 30.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प बलाना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)